

कार्यालय, कलेक्टर जिला खंडवा एवं समुचित सरकार, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कमांक/भू-अर्जन/2017/एल.ए./116/ 707

खंडवा, दिनांक 22/08/2017

प्रति,

नियंत्रक,
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,
भोपाल

विषय:- भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 के अंतर्गत ग्राम डावरी के भू-अर्जन प्रकरण में जारी धारा-19 अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन विषयक।

— 0 —

विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्र.कं. 93/अ-82/2016-17, ग्राम डावरी में लोक निर्माण विभाग हनुमंतिया से बांगरदा पहुच मार्ग व्हाया धारकवाडी, गुलगांव, जामकोटा, जलकुआ बांगरदा लंबाई 16.20 कि.मी. के निर्माण हेतु निजी भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(कमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के तहत कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग जिला खंडवा द्वारा हस्ताक्षरित प्रारंभिक अधिसूचना की दो प्रतियां मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रेषित की गई थी। 32/08/2017

अतः कृपया अधिसूचना का प्रकाशन मध्य प्रदेश राजपत्र में करवाकर इस कार्यालय को सूचित



कष्ट करें।
संलग्न- 02 प्रतियाँ

(अभिषेक सिंह)

कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग,
जिला खंडवा (म.प्र.)

खंडवा, दिनांक 22/08/2017

पृष्ठांकन कमांक/भू-अर्जन/2017/एल.ए./116/ 708

प्रतिलिपि :-

- 1- संचालक, जन संपर्क संचनालय म0प्र0 की ओर अधिसूचना की चार प्रतियाँ संलग्न कर
- 2- इस क्षेत्र में पढे जाने वाले दो बहु प्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित कर लेख है कि समाचार पत्रों की दो प्रतियाँ अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा जिला खंडवा एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर संलग्न अधिसूचना को समुचित सरकार की वेबसाईड पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।
- 3- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा की ओर दो प्रति में सूचनार्थ एवं उनके सूचना फलक पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।
- 4- नायब तहसीलदार, मूंदी, की ओर 06 प्रतियाँ संलग्न कर एक प्रति स्वयं के कार्यालय के सूचना फलक, उक्त अधिसूचना का प्रकाशन उपखंड कार्यालय/तहसील/जनपद पंचायत कार्यालय, संबंधित ग्राम एवं ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया जाकर तामिली इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रेषित।
- 5- कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा की ओर सूचनार्थ।
- 6- जिला नाजिर कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर जिला कार्यालय के सूचना फलक पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।

कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग,
जिला खंडवा (म.प्र.)

कार्यालय, कलेक्टर जिला खण्डवा, एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कमांक / 116/2016/एलए/
भू-अर्जन प्रकरण कमांक /अ-82/16-17

नस्ती कमांक 116/2016 एलए
खण्डवा, दिनांक 22/08/2017

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अनिधयम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद 2 में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक 1 में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है:- भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

1) भूमि का वर्णन -

- (क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) अर्जित रकबा/क्षेत्रफल

// अनुसूची //

खंडवा
पुनासा
डाबरी
0.85 हैक्टेयर

अ.क.	कृषक / हितग्राही का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	प्रस्तावित अनुमानित रकबा			सार्वजनिक प्रयोजन
				कुल रकबा	संचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नारायण पिता भागीरथ	2/1	4.34	0.06	0.06	0.00	कार्यपालन यंत्री लोक, निर्माण विभाग खंडवा द्वारा हनुमंतिया से बांगरदा पहुच मार्ग काया धारकवाडी, गुलगांव,जामकोटा, जलकुआ बांगरदा लंबाई 16.20 कि.मी. के निर्माण हेतु
2	लखन पिता भागीरथ	2/2	4.34	0.06	0.06	0.00	
3	माखन पिता भागीरथ	2/3	4.34	0.06	0.00	0.06	
4	चंपालाल पिता मनफूल	3/1	1.95	0.03	0.00	0.03	
5	राजाराम पिता मनफूल	3/2	1.95	0.03	0.00	0.03	
6	बलीराम पिता मनफूल	3/3	0.09	0.03	0.00	0.03	
		4/1	1.86		0.00	0.03	
7	सोहनलाल पिता तुलाराम	4/2	1.92	0.05	0.00	0.05	
8	पन्नालाल पिता तुलाराम	5/1	1.72	0.06	0.00	0.06	
9	राधेश्याम पिता देवराम	6/1	0.88	0.07	0.00	0.07	
10	लिमाजी, गुलाबदास पिता दयाराम, भीरा, सुशीला, लक्ष्मी, कलाबाई पुत्री दयाराम, गहना बेवा दयाराम नंदू पिता मयाराम लीला बेवा मयाराम	189/1 191/1	0.35 0.40	0.05	0.00	0.05	

11	चिंतामण पिता ईश्वरचंद सा शोभा पति भरतकुमार जैन	189/5	0.40	0.03	0.00	0.03
12	मेहूल पिता रावजी	191/3	0.20	0.02	0.00	0.02
13	चिंतामण पिता ईश्वरचंद सा जैन अरुण कुमार पिता माणकचंद	191/4	0.27	0.02	0.00	0.02
14	दीपक पिता किशनचंद	191/5	0.20	0.02	0.00	0.02
15	जगन्नाथ पिता सोभा	194/1	1.16	0.15	0.00	0.15
16	जम्बू कुमार पिता अरुण कुमार जैन	195/1 195/2	0.15 0.17	0.05	0.00	0.05
17	सुचित्रा पति राजकुमार	196/5 197/1	0.05 0.08	0.05	0.00	0.05
18	शिल्पा पति शिरीष	196/4	0.05	0.01	0.00	0.01
कुल- कृषक 18		कुल रकबा -0.85हे० सिंचित - 0.12हे० असिंचित- 0.73हे०				

- नोट :-1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।
2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(अभिषेक सिंह)

कलेक्टर एवं समुचित सरकार,

म०प्र०शासन, राजस्व विभाग,
जिला खण्डवा (म०प्र०)